न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–कुमार पाल गौतम,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या –15/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बनवारीलाल खेतान पुत्र केसरीमल खेतान निवासी प्लोट संख्या 199, सेक्टर 8 विद्याधर नगर, जयपुर		1. राजेन्द्रसिंह चांदावत, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, परबतसर। 2. दिलीप सुल्तानियां पुत्र प्रभुदयाल सुल्तानिया जाति अग्रवाल निवासी बालाजी कॉलोनी बोरावड रोड मकराना तहसील मकराना जिला नागौर 3. महावीर सिंह पुत्र मेघसिंह नरूका जाति राजपूत निवासी मगलाना तहसील मकराना जिला नागौर 4. हाजी मोहम्मद अली पुत्र कमरूदीन गैसावत निवासी स्टेशन रोड मकराना तहसील मकराना जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री विक्रम जोशी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
3. अप्रार्थी संख्या–2 की और से वकील श्री घनश्याम मिश्रा, अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से श्री शिवचन्द पारीक।

आदेश दिनांक– 23-7-2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर परबतसर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या–78/2015 दिलीप बनाम बनवारी वगैराह को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या–3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 ने एक राजस्व वाद सहायक कलक्टर परबतसर के न्यायालय में दिनांक 24.07.2015 को प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण संख्या 78/2015 पर दर्ज किया गया है, जिस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 राजेन्द्र सिंह चांदावत है। अप्रार्थी संख्या 2 धनाढ्य और राजनैतिक रसूखात का व्यक्ति है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का आपस में दोस्ताना है और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कई बेनामी सम्पतियां खरीद कर रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रतिदिन न्यायालय परिसर में ही अप्रार्थी संख्या 1 के चेम्बर में मिलते है और अप्रार्थी संख्या 1 के घर भी अप्रार्थी संख्या 2 का आना जाना है, अप्रार्थी संख्या 1 भी कई बार अप्रार्थी संख्या 2 के घर आते जाते रहते है।

कलक्टर, नागौर

प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 3 व 4 व अप्रार्थी संख्या 2 के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 493 व खसरा नम्बर 496 वाके मौजा मंगलाना में स्थित रहते चले आये है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने धनबल और राजनैतिक रसूखात से तथा अप्रार्थी संख्या 1 से मित्रता एंव व्यापारिक संबंध होने के कारण कथित सम्पतियों का बंटवाडा अपनी इच्छानुसार करवाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी की ओर से काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया गया। उपरोक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 येन केन प्रकारेण कथित प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 2 की सुविधा के अनुसार व उनके चाहे अनुसार विधि की मंशा के विपरीत निस्तारित करने पर आमादा है, इस क्रम में अप्रार्थी संख्या 2 के न्यायालय में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों में तो प्रकरण यथासमय एक समुचित अवधि के पश्चात् नियत किया जाता है, जो करीब 40–45 दिनों की अवधि है, लेकिन चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपस में मिले हुए है, इसलिए प्रकरण संख्या 78/2015 के कोई भी तिथि 10–15 दिन से अधिक नहीं दी गई है, इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दिनांक 23.01.2017 को प्रार्थी द्वारा जिरह हेतु समय चाहने के बावजूद भी मनमाने ढंग से अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नहीं होना अंकित कर दिया और विधि विरूद्ध ढंग से अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नहीं होना अंकित कर दिया और विधि विरूद्ध ढंग से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की जिरह बंद कर दी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने आपस में मिलावट कर रखी है, प्रार्थी की ओर से साक्ष्य हेतु समय चाहा गया था, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ने एलानियां यह कह दिया कि तुम्हारी कोई साक्ष्य मेरे द्वारा नही ली जावेगी और न ही तुम्हे साक्ष्य प्रस्तुत करने दी जायेगी, मै तो इस प्रकरण का एकतरफा साक्ष्य द्वारा दिलीप सुल्तानियां द्वारा चाहा गया निर्णय करूंगा, क्योंकि इस सम्पति में मेरा भी पैसा लगा हुआ है, इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने दिनांक 20.02.2018 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को मुन्तकिल करने का निवेदन कर दिया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मनमाने ढंग से अप्रार्थी संख्या 1 की सुविधा अनुसार निर्णय पारित करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने दिनांक 20.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय में ही न्याय की उम्मीद नहीं होने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर दिया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 हटधर्मितापूर्वक उपरोक्त प्रकरण को विधि की मंशा के विपरीत प्राकृतिक न्याय और साक्ष्य सबूत और सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किये बिना निर्णय करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में श्रीमान् के समक्ष यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई विकल्प प्रार्थी के पास मौजूद नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में यह पूर्णतया प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण के हित एक दुसरे से जुडे हुए है और वह येन केन प्रकारेण मनमाने रूप से प्रकरण का निस्तारण अपनी इच्छानुसार करने पर आमादा है। इस बात की पुष्टि के लिए उपखण्ड अधिकारी परबसतर के न्यायालय में विचाराधीन वर्ष 2015, 2016 व 2014 के व अन्य प्रकरणों की सूची मंगवाई जाकर उनमें नियत तारीख पेशीयों की स्थिति का अवलोकन किया जाना और इस संबंध में उनके आचरण को लेखबद्ध किया जाना न्याय संगत होने का कथन करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 78/2015 अनवान दिलीप बनाम बनवारी वगैराह को ईमानदार उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में अंतरित किया जावें। विकल्प में उपरोक्त प्रकरण की पत्रावली श्रीमान् स्वंय मंगवाकर उसका अवलोकन कर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 14.9.2011पेज 627 न्यायिक दृष्टांन्त पेश किया।

वकील अप्रार्थी श्री घनश्याम मिश्रा ने अपनी बहस में वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि वाद संख्या 78/2015 प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच घोषणा खातेदारी व बंटवाडा का चल रहा है। उक्त खेत अप्रार्थी संख्या 2, 3 तथा प्रार्थी बनवारीलाल के संयुक्त रूप से खरीद कर लिखापढ़ी (इकरारनामा) वास्ते भौतिक बंटवाडा दिनांक 16.08.2013 के अनुसार किया हुआ है उसी अनुसार वाद प्रस्तुत किया गया चल रहा है।

कलक्टर, नागौर

अप्रार्थी न तो राजनैतिक रसूखात का व्यक्ति है और न ही पीठासीन अधिकारी से कोई दोस्
या व्यक्तिगत रिस्ता है। इस कारण चेम्बर में जाकर मिलने एवं बे–नामी सम्पति कोई किसी प्रकार की
नामित सम्पती भी पीठासीन अधिकारी के साथ होना गलत मन गठन्त आरोप लगाकर अकारण ही पी
की विश्वसनीयता पर लाछंन है।

खेत संयुक्त रूप से खरीद कर लिखापढी बंटवाड़ा वर्ष 2013 में किया हुआ है उसी अनुसार
खातेदारो की इच्छानुसार बंटवाड़ा पूर्व मे स्वीकार कर अपने अपने बंट पर इकरार के अनुसार आज
काबिज है।

न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को उचित अवसर प्रदान कर सुनवाई की जा रही है एवं
कार्यवाही विधि सम्मत रूप से चल रही है कोई भी तरह की मिलावट का आरोप गलत एवं मनगठन्त
वाद संख्या 78/15 की आर्डरशीट विधि सम्मत व सी.पी.सी. की प्रकिया अनुसार वाद सुनवाई की
करता है। तथा प्रार्थीगण को गवाह, जिरह का उचित अवसर प्रदान किया गया है। यहां तक कि कोर्
न्यायहित में भी अवसर प्रदान किये गये है परन्तु मात्र मामले को लम्बा करने व वादी को परेशान करन
लिए बार–बार अवसर एवं विभिन्न आवेदन व राजस्व मण्डल में रिविजन पेश किये है, जिससे साफ स
है कि प्रार्थी केवल मामले को लम्बा करना चाहता है, इसलिए प्रार्थी का आवेदन खारिज योग्य है।

साक्ष्य के लिए उचित अवसर प्रदान किये गये है तथा कोई किसी प्रकार की एलानिया धमक
मिलावट की बात निराधार है। पी.ओ. द्वारा यह कहना कि इस सम्पति में मेरा भी पैसा लगा हुआ
सरासर गलत व झूठा और बे–बुनियाद आरोप पी.ओ. पर लगाना नैतिकता के विरूद्ध है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य झूठे गलत एवं मनगठन्त है कोई किसी प्रकार का सबूत पी.ओ. के वि
नहीं है और न ही मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध ऐसा सबूत या प्रमाण है कि मेरे द्वारा पी.ओ. से कोई मिल
की हो जिस कारण किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित नहीं है और खा
करने योग्य होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है। व
अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी.–14.6.2012 पेज 376, आर.आर.डी. 14.8.2010 पेज
आर.आर.टी. 2015(1) पेज 36, एवं आर.आर.डी. 14.9.2012 पेज 599 न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

वकील अप्रार्थी श्री शिवचंद पारीक ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्ता
किये जाने पर उन्हे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने अपनी बहस में कथन किया की प्रार्थी द्वारा अपने प्रा
पत्र के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 पर लगाये गये समस्त आक्षेप निराधार एवं कपोल कल्पित है। अप्
संख्या 1 न तो किसी भी पक्षकार से मिले हुऐ है तथा न हीं उन पर किसी प्रकार का दबाव है। अप्
संख्या 1 द्वारा प्रकरण में पक्षकारान को विधि अनुसार समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करने
अवसर प्रदान करते हुऐ कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में प्रतिवादी को साक्ष्य के लिए छः अवसर
जाने के बावजूद उनके द्वारा अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थी जानबूझ कर अनावश्यक
से प्रकरण को लम्बा करने पर आमादा होने का कथन करते हुऐ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने
निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं वकुलाय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्ट
का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार अपनी बहस में अप्
संख्या 1 व 2 पर आपस में मिले हुऐ होने, अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से घर पर व न्यायालय
चेम्बर में मिलने तथा अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी के घर आते जाते रहने तथा आप्रार्थी संख्या 1 व 2
आपस में दोस्ताना होना एवं उनके द्वारा कई बेनामी सम्पतियां खरीद रखी है। अप्रार्थी संख्या 1
अप्रार्थी संख्या 2 को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से दिनांक 23.01.2017 को विधि विरूद्ध ढग से प्रति
संख्या 2 व 3 की जिरह बंद कर दी तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ऐलानीया कह दिया की तुम्हारी
साक्ष्य नहीं ली जावेगी तथा प्रकरण को एकतरफा साक्ष्य द्वारा दिलीप सुल्तानिया द्वारा चाहा गया नि

करूंगा आदि के आक्षेप वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध लगाते हुऐ प्रकरण संख्या 78/2015 दिलीप बनाम बनवारी वगैरह को अन्य उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में अंतरित करने का निवेदन किया गया है। वकील प्रार्थी के उक्त आक्षेपों को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पूर्णतया इंकार किया है। वकील प्रार्थी द्वारा अपने आक्षेप के संबंध में अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जहां तक प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की साक्ष्य बंद करने का कथन है कि उक्त संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी पैरावाईज टिप्पणी में अंकित किया है कि गवाह हाजिर था तथा बयान चालू थे जिसके उपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा गवाह से जिरह नही करने के कारण कानूनन जिरह बन्द करना बताया है, जो सही प्रतीत होता है। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध लगाये गये आक्षेपों के संबंध में कोई अन्य ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। केवल मात्र प्रार्थी के कथनों के आधार पर ही किसी प्रकरण को अन्यन्त्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होता है। इस सम्बध मे माननीय राजस्व मण्डल की ही एकल पीठ द्वारा 1994 आर.आर.डी. 117 में यह भी निर्धारित किया गया है कि :– "transfer of a case from a competent court is not a mere formality but it certainly casts a stigma on its Presiding officer it is true that the justice should not only be done but it should appear to have been done. Transferring a case without sufficient or adequate reason even on the basis of consent of the parties or convenience of parties is not called for or cannot be done . There must be a resonable apprehension in the mind of a litigant seeking transfer of a case from the Court of a particular Presiding officer. Mere making any observation by the Presiding officer during hearing an appeal and on the basis of such observations, if any of the parties to the appeal feels that the result of appeal may go against it, it cannot be said that such a party has a reasonable apprehension that it would not get justice in the case,..."

इसी प्रकार 2006–2007 (सप्लीमेन्ट्री) आर.आर डी. 435 में यह भी निर्धारित किया गया है कि :– "फोरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था मे व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। बिना किसी ठोस आधारों के मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्याय प्रकिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड में दुरूपयोग को बढावा नहीं मिलना चाहिये। उच्च अदालतों को यह भी देखना चाहिये कि इस प्रकार के प्रावधानों का abuse of the process of Law नही हो।"

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र कोई ठोस आधार नही होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर